

न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

वईजलास - श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं० :- 437/2018 (234/17)
दायर दिनांक :- 29.11.2017

अनवान

श्रीमति बाली पत्नि प्रभुलाल मीणा नि. शिवगढ तह. जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. श्री रतन लाल पिता श्रवण मीणा नि. दरगाह का झुपडा विलेठा तह. जहाजपुर
2. श्री प्रेमराज पिता श्रवण मीणा नि. दरगाह का झुपडा विलेठा तह. जहाजपुर
3. सुश्री बसन्ती पुत्री श्रवण मीणा नि. दरगाह का झुपडा विलेठा तह. जहाजपुर
4. श्रीमति भूरी बेवा श्रवण मीणा नि. दरगाह का झुपडा विलेठा तह. जहाजपुर
5. सुश्री फूला पुत्री श्रवण मीणा नि. दरगाह का झुपडा विलेठा तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री छीतर लाल रेगर, वकील वादी


:: निर्णय ::

दिनांक 13.01.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी इस आशय की जारी की गई है कि ग्राम विलेठा प. ह. विलेठा तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1969/16 रकबा 15.00 बीघा कुल कित्ता 1 रकबा 15.00 बीघा में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड के हक व हिस्से एवं मौके पर हो रहे कब्जे के आधार पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया।

तहसीलदार जहाजपुर द्वारा जरिये पत्र दिनांक 06.11.2020 को बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव से वादी भी सहमत है। जिससे मेरी विनम्र राय में बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिकी जारी किया जाना उचित है।


सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है कि :-
ग्राम बिलेठा प. ह. बिलेठा तहसील जहाजपुर

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा (बीघा-विस्वा)	किस्म	लगान (रूपये)
1	बाली पत्नि प्रभुलाल मीणा नि. शिवगढ	1969/16	10-00	बा.॥॥	3.00
		कुल किता 1	10-00		3.00
2.	रतनलाल, प्रेमराज पिता श्रवण, भूरी बेवा श्रवण 3/5 फूला पुत्री श्रवण 2/5 मीणा नि. शिवगढ	1969/20	5-00	बा.॥॥	1.50
		कुल किता 1	05-00		1.50

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग-2 दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

He
(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत - सहायक कलक्टर मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास - श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

श्रीमति बाली पत्नि प्रमुलाल मीणा नि. शिवगढ तह. जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. श्री रतन लाल पिता श्रवण मीणा नि. दरगाह का झुपडा बिलेठा तह. जहाजपुर
2. श्री प्रेमराज पिता श्रवण मीणा नि. दरगाह का झुपडा बिलेठा तह. जहाजपुर
3. सुश्री बसन्ती पुत्री श्रवण मीणा नि. दरगाह का झुपडा बिलेठा तह. जहाजपुर
4. श्रीमति भूरी बेवा श्रवण मीणा नि. दरगाह का झुपडा बिलेठा तह. जहाजपुर
5. सुश्री फूला पुत्री श्रवण मीणा नि. दरगाह का झुपडा बिलेठा तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत - 53, 188 आर. टी. ए.

प्रकरण संख्या :- 437/2018 (234/17)

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्की निम्नानुसार जारी की जाती है कि :-

ग्राम बिलेठा प. ह. बिलेठा तहसील जहाजपुर

क्र.स.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा (बीघा-बिस्वा)	किस्म	लगान (रूपये)
1	बाली पत्नि प्रमुलाल मीणा नि. शिवगढ	1969/16	10-00	बा.॥॥	3.00
		कुल किता 1	10-00		3.00
2.	रतनलाल, प्रेमराज पिता श्रवण, भूरी बेवा श्रवण 3/5 फूला पुत्री श्रवण 2/5 मीणा नि. शिवगढ	1969/20	5-00	बा.॥॥	1.50
		कुल किता 1	05-00		1.50

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग-2 दर्ज किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.01.2022

मुहर

hw
(दामोदर सिंह)

सहायक कलक्टर,
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)